बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

संकल्प सं0:- 5992355 पटना, दिनांक :- 28.07.26

संचिका सं0-R-503/322/2023-SECTION 14-RDD-RDD

श्री कृष्ण कुमार सिंह (अनुक्रमांक-183287), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरैया (सारण) सम्प्रति- निलंबित मुख्यालय जिला पदाधिकारी, पूर्णिया कार्यालय के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-21618 दिनांक-24.11.2023 के माध्यम से प्राप्त निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-2456 दिनांक-13.11.2023 से प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सिंह के विरूद्ध 65,86,622/- (पैंसठ लाख छियासी हजार छः सौ बाईस) रूपये के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड संख्या-034/2023 दिनांक-30.10.2023 धारा-13(2)-सह- पठित धारा-13(1)(बी) भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम-2018) दर्ज किया गया । उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-460/स्था० दिनांक-20.03.2024 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र प्राप्त है ।

जिला पदाधिकारी, सारण से प्राप्त आरोप पत्र पर समीक्षोपरांत वर्णित आरोपों पर विभागीय पत्रांक-2925930 दिनांक-21.06.2024 द्वारा श्री कृष्ण कुमार सिंह से स्पष्टीकरण/बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी । कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरैया, सारण के पत्रांक-545 दिनांक-28.06.2024 के माध्यम से श्री सिंह का स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया, श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में साक्ष्य संलग्न नहीं होने के कारण विभागीय पत्रांक-3447842 दिनांक-13.12.2024 द्वारा स्पष्टीकरण के समर्थन में अपेक्षित साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । श्री सिंह द्वारा दिनांक-13.01.2025 को साक्ष्य समर्पित किया गया ।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-398 दिनांक-18.03.2025 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 का प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए यथोचित कार्रवाई का अनुरोध किया गया ।

जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में संकल्प संख्या-4672086 दिनांक-04.10.2025 द्वारा श्री सिंह को निलंबित किया गया ।

पुनः जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण/बचाव का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं है एवं श्री

सिंह का कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के आरोप के लिए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्यक विचारोपरांत श्री कृष्ण कुमार सिंह के विरूद्ध निगरानी थाना कांड दर्ज होने एवं प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति के होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-6956 दिनांक-21.10.2008 एवं पत्रांक-13934 दिनांक-25.11.2021 द्वारा निर्गत दिशा -निर्देश एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) निमयावली, 2005 के नियम 17(2) के आलोक में श्री कृष्ण कुमार सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु मुख्य जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा नामित पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

मुख्य जांच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नामित करने के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

श्री कृष्ण कुमार सिंह से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

23/07/2026

(पंकज कुमार)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 5992355 / पटना, दिनांक :- 28.07.26

संचिका सं0- R-503/322/2023-SECTION 14-RDD-RDD

प्रतिलिपि:- मुख्य जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को श्री कृष्ण कुमार सिंह के विरूद्ध आरोप से संबंधित सभी अभिलेख के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि श्री कृष्ण कुमार सिंह (अनुक्रमांक-183287), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरैया (सारण) सम्प्रति- निलंबित (मुख्यालय-जिला पदाधिकारी, पूर्णियां) के विरूद्ध यथाशीघ्र विभागीय कार्यवाही आरंभ कर मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

23/07/2026

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः- 599 2355 / पटना, दिनांक :- 28.07.26

संचिका सं0- R-503/322/2023-SECTION 14-RDD-RDD

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही हेतु नामित उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण (पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा नामित) पदाधिकारी को आवश्यक सूचना/कागजात उपलब्ध कराने हेतु निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को निदेशित करने की कृपा की जाय।

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः- 599 2355 / पटना, दिनांक :- 28.07.26

संचिका सं0- R-503/322/2023-SECTION 14-RDD-RDD

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि तदनुसार विभागीय कार्यवाही का उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी मनोनित करते हुए संचालन पदाधिकारी एवं इस विभाग को कृपया अविलंब अवगत कराया जाय ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः- 599 2355 / पटना, दिनांक :- 28.07.26

संचिका सं0- R-503/322/2023-SECTION 14-RDD-RDD

प्रतिलिपिः- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सारण एवं पूर्णियां/उप विकास आयुक्त, सारण एवं पूर्णियां /कोषागार पदाधिकारी, सारण एवं पूर्णियां/ प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु)/ श्री कृष्ण कुमार सिंह (अनुक्रमांक-183287), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरैया (सारण) सम्प्रति- निलंबित (मुख्यालय-जिला पदाधिकारी, पूर्णियां) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

C:\Users\pc.DESKTOP-15GDIIN9\OneDrive\Desktop\Gopal Ji Scanjet\Akash\Notification(2026)-20 DP (C.S.).doc